

उत्तर प्रदेश शासन

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन अनुभाग

संख्या-1650/अट्ठासी-2011-100खा./11

लखनऊ : दिनांक 11 अगस्त, 2011

अधिसूचना

खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (अधिनियम संख्या 34 सन् 2006) की धारा 37 की उपधारा (2) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल नीचे अनुसूची के स्तम्भ-2 में उल्लिखित सरकारी अधिसूचना संख्या-1645/अट्ठासी-2011-100खा./11 दिनांक 11.08.2011 में अधिसूचित खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के अधिकारियों को, दिनांक 05 अगस्त, 2011 से उनकी अधिकारिता के स्थानीय क्षेत्रों के अतिरिक्त, उक्त अनुसूची के स्तम्भ-3 में उनके समक्ष विनिर्दिष्ट क्षेत्रों के अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा अधिकारी/मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

अनुसूची

| क्रमांक | अधिकारी का पद एवं तैनाती का स्थान | स्थानीय अधिकारिता और स्थानीय क्षेत्र |
|---------|--|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | तहसील मुख्यालय में तैनात खाद्य सुरक्षा अधिकारी | सम्बन्धित तहसील मुख्यालय के नगर पालिका क्षेत्र |
| 2 | सम्बन्धित जिला के मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में जिला मुख्यालय के सदर तहसील मुख्यालय में तैनात खाद्य सुरक्षा अधिकारी | जिला मुख्यालय के नगर पालिका क्षेत्र |
| 3 | सम्बन्धित जिला के मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में नगर निगम मुख्यालय के निकटतम तहसील में तैनात खाद्य सुरक्षा अधिकारियों का दल | सम्बन्धित जिला के नगर निगम क्षेत्र |
| 4 | यदि किसी जिले में मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी तैनात न हो तो निकटतम तहसील के वरिष्ठतम खाद्य सुरक्षा अधिकारी अपेक्षानुसार अपने-अपने तहसील के सम्बन्धित खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के दल के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। | सम्बन्धित जिला में क्रम संख्या 2 एवं 3 में उल्लिखित उपर्युक्त स्थानीय निकायों हेतु। |

आज्ञा से
स्तुति कक्कड़
(स्तुति कक्कड़)
प्रमुख सचिव।
९

संख्या-1650(1)/2011, तददिनांक।

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उ०प्र०, ऐशबाग, लखनऊ को अंग्रेजी भाषा की अधिसूचना की प्रति सहित इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट के भाग 4 खण्ड (ख) (परिनियत आदेश) में उक्त तिथि को प्रकाशित कराने का कष्ट करें। उक्त अधिसूचना की 500 प्रतियां मुद्रित कराकर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन अनुभाग उ० प्र० शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से

(रवीन्द्र सिंह)

संयुक्त सचिव

संख्या-1650(2)/2011, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) महालेखाकार, उ०प्र० इलाहाबाद।
- (2) प्रमुख सचिव नगर विकास विभाग उ० प्र० शासन।
- (3) आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
- (4) निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उ०प्र० शासन।
- (5) समस्त मण्डलायुक्त उ० प्र०
- (6) समस्त जिलाधिकारी उ० प्र०।
- (7) समस्त मुख्य कोषाधिकारी।
- (8) समस्त मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी/खाद्य सुरक्षा अधिकारी, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग।
- (9) विधायी अनुभाग-1
- (10) भाषा अनुभाग-5
- (11) गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(रवीन्द्र सिंह)

संयुक्त सचिव।

UTTAR PRADESH SHASAN

Khadya Suraksha Evam Oshadhi Prashasan Anubhag

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of following English translation of notification no.1650/ 88-2011-100kha/11 dated 11 August 2011

Notification

No.1650/ 88-2011-100kha/ 11


Lucknow : Dated 11 August, 2011

In exercise of the powers under sub section-(2) of section-37 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (Act no. 34 of 2006) the Governor is pleased to authorise the Officers of Food Safety and Drug Administration Department notified in Government Notification No. 1645 /88-2011-100Kha/11 dated 11 August, 2011 mentioned in Column -2 of the schedule below to perform the functions of Food Safety Officers /Chief Food Safety Officers within the areas specified against them in column-3 of the said Schedule in addition to the local areas of their jurisdiction with effect from 5.8. 2011.

Schedule

| Sl. No. | Post of Officers and Place of posting | Local jurisdiction and local area |
|---------|--|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Food Safety Officers posted at Tehsil headquarters | Nagar Palika areas of the respective tehsil headquarters. |
| 2 | Food Safety Officers, posted at sadar tehsil head quarters of the District headquarters under the supervision of Chief Food Safety Officer of the concerned District. | Nagar Palika areas of the district headquarters. |
| 3 | The team of Food Safety Officers posted in nearest tehsil of the Nagar Nigam headquarters under the supervision of Chief Food Safety Officer of the concerned District.. | In Nagar Nigam areas of the respective District. |
| 4 | If Chief Food Safety Officer is not posted in a District,the Senior most Food Safety Officers of the nearest Tehsil, shall discharge the duties thereof alongwith a team of concerned Food Safety Officers of their tehsils as required. | In the respective District for the above local bodies mentioned in serial no. 2 and 3. |

By Order,


(Stuti Kacker)
Principal Secretary.

.....2